न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,

गंगापुर सिटी,जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
12/2022	अपील	01.04.2020	13/07/22

1. हरीश पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी खेडली तहसील वजीरपुर।

–अपीलार्थी–

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वजीरपुर।

–रेस्पोन्डेण्ट–

निर्णय दिनांक: 13.7.22

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार, तहसील वजीरपुर उनवानी मुकदमा सरकार बनाम हरीश, मुकदमा नं0 421/22 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2022 के विरूद्ध पेश की गई है।
2. अपील मीमो के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बगलाई की रिपोर्ट के आधार पर भूमि हाल ख0नं0 1317 रकबा 0.25 हेक्टर पर अपीलार्थी का कब्जा दर्शाते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हरीश पुत्र गोपाल जाति प्रजापत को धारा 91 एल0आर0एक्ट0 का नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 21.02.2022 को तहसील में उपस्थित होने के लिये कहा गया, जिस पर प्रार्थी दिनांक 21.02.2022 को न्यायालय तहसीलदार वजीरपुर के यहां उपस्थित होने पर पत्रावली की आर्डर शीट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवाये गये, एवं अपीलान्ट से कहा गया कि उक्त सरकारी भूमि पर से अपना कब्जा हटा लेना वरना तुम्हें जेल जाना पडेगा। इस पर अपीलान्ट ने कहा कि अपीलान्ट का मौके पर किसी सरकारी भूमि पर पर कब्जा नहीं है, जिसके बावजूद अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त निर्णय दिनांक 21.02.2022 को पारित कर दिया गया, जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नही रही परन्तु अचानक दिनांक 23.03.2022 को पुलिस थाने से वारंट लेकर पुलिस वाले अपीलान्ट के घर पहुंचे तथा उन्होंने प्रार्थी को वारंट बताया, तब अपीलान्ट ने बताया कि मेरा नाम हरीश मीना हैं तथा वारंट हरीश प्रजापत के नाम हैं, मेरा नही हैं। जिस पर वे वापस लौट गये। अपीलान्ट द्वारा उक्त सम्बन्ध में तहसील वजीरपुर में उपस्थित होकर जानकारी की गयी तो तहसीलदार जी ने कहा कि आर्डरशीट पर तुम्हारे

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

हस्ताक्षर हैं, इसलिये तुम भूमि पर से कब्जा छोड दो, अगर इस निर्णय से तुम प्रभावित हो तो इस निर्णय की अपील करो, इसलिये अपीलान्ट को उक्त अपील पेश करना आवश्यक हुआ।

3. अपीलार्थी ने अपील में आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नही किया है ना ही अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में कोई निर्णय पारित किया है। तथा जो निर्णय पारित किया है वह हरीश प्रजापत के विरूद्ध पारित किया है जिससे अपीलान्ट का कोई ताल्लुक वास्त नही है। परन्तु उक्त निर्णय की आड में पुलिस थाना अपीलान्ट को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है तथा गिरफ्तार करने पर आमादा है। इसलिए उक्त निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध गलत व आधारहीन है। तथा निरस्त होने योग्य है।

4. अपीलार्थी ने अपील में आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय हरीश प्रजापत पुत्र गोपाल प्रजापत जाति प्रजापत के विरूद्ध पारित किया गया है। तथा उक्त निर्णय की आड में अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी व पुलिस थाना अपीलान्ट को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं, इसलिये प्रार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही को निरस्त किया जाना आवश्यक हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपीलान्ट को कभी जानकारी नही रही परन्तु दिनांक 23.03.2022 को पुलिस थाने से कान्स्टेबल हरीश प्रजापत के वारंट लेकर अपीलान्ट के घर पहुंचे तब सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को हुयी। जिस पर उसी दिन अपीलान्ट द्वारा न्यायालय वजीरपुर के यहां से दि0 21.02.2022 के निर्णय की नकल के लिये आवेदन किया जिस पर नकल उसी दिन अपीलान्ट को मिल गयी, जिसे लेकर अपीलान्ट अपने वकील से मिला तथा निर्णय की अपील कें लिये कहा। इसलिये अपीलान्ट को यह अपील पेश करना आवश्यक हुआ है। अपील पेश करने में अपीलान्ट द्वारा कोई जानबूझकर देरी व लापरवाही नही की गयी हैं। अपील पेश करने मे हुयी देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार फरमायी जावें, ताहम भी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा है। अपीलार्थी ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि निर्णय व अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक सिद्धांतों के विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोन्डेण्ट जरिए नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलब की गई। रेस्पोन्डेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही।

6. बहस वकील अपीलार्थी सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने एकपक्षीय बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा है कि अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नही किया गया है, पटवारी हल्का द्वारा किसी हरीश पुत्र गोपाल जाति प्रजापत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

को नोटिस जारी किया गया है तथा निर्णय भी हरीश प्रजापति के नाम से पारित किया गया है। जो वारंट की तामिल के समय पुलिस द्वारा की गई रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। कान्स्टेबल की रिपोर्ट के मुताबिक हरीश पुत्र गोपाल वल्दियत का कोई व्यक्ति ग्राम खेडली में नही होना बताया गया है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने आगे बहस कि की अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बदनियती से काट छांट कर प्रजापत की जगह मीना लिखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित करने के लिए कोई साक्ष्य मौजूद नही है। पूर्व में अपीलार्थी को भौतिक रूप से प्रश्नगत आराजी से कब बेदखल किया गया के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट संलग्न नही की गई है। ना ही तिथी का उल्लेख किया गया है।

7. हमने अपील तथा मिसल अधीनस्थ न्यायालय का आद्योपान्त सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। वकील अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस पर भी सूक्ष्म रूप से मनन किया।

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी/अप्रार्थी के नाम पते सही नही लिखे गये है। जबकि किसी भी व्यक्ति को सिविल कारावास के दंड से दंण्डित करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए थी। जो हस्तगत प्रकरण में नही बरती गई है। इस प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.02.2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में पुनः नोटिस जारी कर उसकी सम्यक तामिल कर सुनवाई कर पुनः विधिसंगत निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम होवें तथा निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांक 13.7.22 को सरे इजलास सुनाया गया

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुरसिटी (स0मा0)